REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2023

भारत में नारी सशक्तिकरण के उभरते आयाम

डॉ. अलका सिंह[1] , डॉ. अनीता सौंधी[2]
[1]सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय,
करगी रोड कोटा बिलासपुर (छ.ग.)
[2]सहायक प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छ.ग.)

सारांश –

समस्त राष्ट्रीय विकास के परिपेक्ष्य में जिन आधारभूत विषयों पर विचार करने की नितांत आवश्यकता है वह है महिला सशक्तीकरण यद्यपि स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रयास किया गए हैं आगे भी प्रयास किए जा रहा है प्रस्तुत आलेख इन्हीं उभरते आयामों को उदित करने का एक विनम्र प्रयास है।

शब्द कुंजी – नारी शिक्षा, सैद्धान्तिक, आयाम ,उभरते .....।

प्रस्तावनाः–

प्राचीन काल में भारतीय समाज में नारी की सम्मान पूर्ण स्थिति थी। नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता था मुनियों द्वारा यह कहा है गया कि– यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस लोक में नारी को देवी की संज्ञा दी गई है नारी को लक्ष्मी दुर्गा शक्ति के रूप में जाता है। वैदिक युग में भी समाज में नारी का उच्च स्थान रहा है इस युग में नारी पुरुषों से कंधा मिला कर कार्य किया करती थी इस युग के गार्गी, मैत्री, विद्योत्तमा विधोतमा ऐसी नारियां हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था किंतु इसी स्वर्णिम कॉल का दूसरा स्वरूप पूर्णतया भिन्न दिखाई देते है जिसमें सीता, द्रोपती, अहिल्या का जीवन चरित्र पूर्ण रूप से निर्दोष होते हुए भी कलंकित वह अपमानित था नारी को पुरुष द्वारा रचित समाज में घर की चौखट में जड़ दिया गया। संपूर्ण भारतीय समाज भारतीय नारी के आंसुओं से भीगा हुआ प्रतीत होता है। महाभारत रामायण रघुवंशम् में घोषणा पत्र दर्ज है। मनु ने स्पष्ट घोषणा की है स्त्री के लिए पति की सेवा ही गुरुकुल है वह सरार्य अग्नि होम है पूर्ण।

विषयवस्तु –

भारतीय समाज के प्रत्येक युग में नारी की स्थिति दोयम में लटकी हुई प्रतीत होती है कहा गया है कि नारी का जीवन तीन पुरुषों के अधीन जीवन पर्यंत होती है बाल्यावस्था पिता के अधीन युवावस्था पति के अधीन व वृद्धावस्था पुत्र के अधीन होती है। नारी पराधीन होने के कारण अपने जीवन के किसी भी पहलू का निर्णय स्वयं नहीं ले सकती इस महिविषय में सिमोन द बोउवार का कथन है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। किंतु यदि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नारी की स्थिति का विश्लेषण करें तो भारतीय नारी का आधुनिक स्वरूप देखने को मिलता है आधुनिक नारी बाल विवाह विधवा विवाह सती प्रथा आदि कुरीतियों से विमुक्त है यह विमुक्तकरण नारी को विलियम बैंटिक व राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप मिला है।

नारी सशक्तिकरण के संबंध में पैलिनिथूराई न लिखा है कि महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नारी को समाज में पुरुष के बराबर मान्यता प्रदान की जाती है इस विषय में गांधी जी कहते हैं नारियों को अबला कहना उचित नहीं है यह पुरुषों का नारियो के प्रति अन्याय का प्रतीक है यदि शक्ति का तात्पर्य पाशविक शक्ति से है तो स्त्रियां निश्चित ही पुरुषों से कम पशु सिद्ध होती हैं पर यदि शक्ति का तात्पर्य यदि नैतिक बल से है तो स्त्री निश्चित ही पुरुष से कहीं आगे अपनी सभी जगह निश्चित करती है। गांधी जी नारी शक्ति पर अटूट विश्वास के साथ उनकी आत्मनिर्भरता पर बल देते थे।

नारी सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है शिक्षा नारी सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है शिक्षित नारी न केवल स्वयं आत्म निर्भर होती है अपितु भावी पीढ़ी के उत्थान में सहायक सिद्ध होती है इसलिए माता को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है इस विषय में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि – महिला सशक्तिकरण से केवल महिलाएं ही लाभन्वित नहीं होती है बल्कि पूरा परिवार समाज राष्ट्र सभी लाभन्वित होता है परिवार में बाल मृत्यु दर घटती है समाज सुसंकृत होता है व राष्ट्र विकास की ओर अग्रसित होता है महिला सशक्तिकरण की अवधारणा के लिए भारतीय समाज में चली आ रही परंपराएं विश्वास रीति–रिवाज वह शिक्षा की प्रक्रियाएं आदि अनेक चुनौतियां है इनकी संभावनाएं भी उतनी ही अधिक है क्योंकि प्राचीन भारतीय समाज और वर्तमान समाज की महिलाओं की स्थिति की तुलना करें तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं आज खेलों से लेकर राजनीति मीडिया और शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है श्रीमती इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, किरण बेदी, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा मैरी कॉम, सुचित्रा महाजन आदि ने भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। परिवर्तन चाहे परिवार में हो समाज में हो एक दिन में नहीं लाया जा सकता। इसमें सदियाँ लग जाती है। स्वतंत्र भारत में है किंतु यह वास्तविकता है कि भारत में महिलाओं के प्रति व्यवहार में आजादी के पहले और उसके बाद की परिस्थितियों काफी परिवर्तन आया है।

स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक उपबंध–

स्वतंत्र भारत में महिलाओं को सदियों पुरानी दासता से मुक्ति हेतु कई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के संस्थापक इस तथ्य को भली–भांति जानते थे कि इस सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में संभव नहीं है कि महिलाओं को जेंडर आधारित न्याय मिल सके इन संस्थापकों ने भारतीय समाज में समाज के पिछड़े वर्गों की ही तर्ज पर महिलाओं के लिए विशेष उपबंध हो विशेष उपबंध हो, विशेषकर मौलिक अधिकारों और राजनीति की नीति के निर्देशक तत्वों की सिफारिश की है। इसी के अनुरूप बहुत से मुख्य अनुच्छेद 14 16, 15, 21, 23, 372, 39 का 42 तथा अनुच्छेद तीन सौ पच्चीस को भारतीय संविधान में 39 का 42 तथा अनुच्छेद 325 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है अनुच्छेद। महिलाओं के हितों को स्वर धन और संरक्षण प्रदान करते हैं तथा स्त्री पुरुषों के समान अधिकारों को दर्शाते हैं भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 महिलाओं पर घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2001 भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001 बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं विधायक बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं विधेयक 2001 पारित एक्टरों के लिए गुजारा भत्ता संशोधन अधिनियम बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं विधेयक 2001 परीक्षाओं के लिए गुजारा भत्ता संशोधन अधिनियम सराहनीय नियम कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को दिशा में महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सफलता प्रदान करने के लिए नई विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है इसके लिए पूर्व में संचालित विशेष योजनाओं तथा न्यू मॉडल चरखा योजना 1987, महिला सामाख्या योजना 1989, नवरात्र शिक्षण योजना 1989, राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण योजना 1993, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1996, जन प्रोत्साहन योजना 1993, तथा विपणन योजना 1993, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1996, प्रोत्साहन योजना 1993 तथा विपणन योजना 1993 के अतिरिक्त राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1997, ग्रामीण महिला विकास योजना 1996, मार्जिन मनी ऋण योजना 1995, स्वास्थ्य सखी योजना 1996, मार्जिन मनी ऋण योजना 1995, स्वास्थ्य सखी योजना 1997, योजना 1996 मार्जिन मनी ऋण योजना 1995 स्वास्थ्य सखी योजना 1997, इच्छा मुक्ति योजना 1996, स्वास्थ्य की योजना 1997, और राजराजेश्वरी बीमा योजना 1997 आदि को भी साथ साथ व्यापक संचालित करने का प्रयास किया गया है इसके अतिरिक्त कुछ नई संचालित की गई योजनाओं में किशोरी शक्तियोजना महिला स्वयं

सिद्धि योजना महिला स्वास्थ्य योजनामहिला उद्यमियों हेतु ऋण योजनाशक्ति योजना आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय रही है भारत सरकार द्वारा पहले से चली आ रहीं बालिका समृद्धि योजना में व्यापक सुधार संशोधन कर इसे और अधिक व्यावहारिक बनाने का विधिप्रयास किया गया हैसाथ ही महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार में कुछ योजनाओं जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उज्ज्वला योजना सुकन्या योजना, कस्तूरबा गांधी योजना आदि की भी शुरुआत की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण आंदोलन में बुनियादी बदलाव आया है इस बात को महसूस किया जाने लगा है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर महिलाएं निश्चित रूप से राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रही हैं यद्यपि सदियों से पर आश्रित एवं सूचित महिलाओं की स्थिति में एकाएक सुधार संभव नहीं है किंतु सरकार द्वारा किये गए प्रयासों से कुछ लाभ अवश्य होगा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश के विभिन्न भागों के अध्ययन दर्शाते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी हुई हैक्योंकि वहां अब महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण आवश्यक हो गया है रूढ़िवादी शक्तियों के विरोधूद महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है यद्यपि अधिकांश मामलों में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं ने अपनी शक्ति सामर्थ्य और विवेक से निर्णय लेने की क्षमता उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

सांसद व विधान मंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का विधेयक पारित हो जाने के बाद इन संस्थाओं के लिए उम्मीदवारों की पूर्ति पंचायत में निर्वाचित सक्रीय महिलाओं से होगी इसके अतिरिक्त जो महिलाएं सांसद एवं विधान मंडलों में चुनकर आएंगी चुनकर आएंगी उनका पंचायत स्तर की महिलाओं से सीधा संपर्क होगा। इससे पंचायत में रोहित महिलाओं का और अधिक रोहित महिलाओं का और अधिक राजनीतिक सशक्तिकरण रोहित महिलाओं का और अधिक राजनीतिक राजनीतिक होगा।

उपरोक्त नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों ने स्त्रियों को शोषण से मुक्ति में सहायता की है। इसमें कोई संदेह नहीं है परंतु संवैधानिक अधिकार ही महिलाओं को सशक्त बना देंगे ऐसा भीनहीं है जब तक व्यवहारिकक जगत में इसका कुशल अनुप्रयोग नहीं होगा तथा समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं है संवैधानिक अधिकार स्त्रियों को तभी सशक्त बनाएंगे जब वह स्वयं इस लायक बनेंगे को तभी सशक्त बनाएंगे जब वह स्वयं इस लायक बनेंगे कि उनका उपयोग कर सकें

निष्कर्ष –

निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारत सरकार द्वारा अब तक महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रयास किए गए जिनके परिणाम आगामी वर्षों में दिखाई पड़ेंगे वैसे इन परिणामों की अपेक्षा तभी की जाती है जब इस मुहिम को लगन उत्सव परिणामों की अपेक्षा तभी की जाती है जब इस मुहिम को लगन उत्साह तथाा प्रतिबंध था। साथ संचालित किया जा सके इस अवधि में लिए गए निर्णय तथा उठाए गए विशेष कदमों का निरंतर मूल्यांकन होता रहे तथा रास्ते में आने वाली बढ़ाओ तथा कठिनाईयां का प्राथमिकता के आधार पर स्थाई हल खोजा जा सके इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक शिक्षित वह सशक्त होना होगा ताकि उनमें जागरूकता का संचार हो सके और वे अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम हो सके तभी वास्तविक अर्थों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम सार्थक कहे जा सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मनुस्मृति 55 59
2. रावत, ज्ञानेंद्र औरत एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विद्या भारती पब्लिकेशन नई दिल्ली।
3. यादव, राजाराम, भारतीय दण्ड संहिता पंचम संस्करण, 2005, सेन्ट्रल लॉ प्रकाशन प्रयागराज।